न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 77/2021

माडूराम पुत्र कन्हीराम उम्र 73 साल, जाति मेघवाल, निवासी बड़बर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी—

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बुहाना, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम माडुराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 43/2021 निर्णय दिनांक 18.6.2021

उपस्थितिः—

1 .श्री मनोहर लाल सैनी, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.06.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम माडुराम मु0नं0 43/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत में अपीलांट ने दिनांक 18.6.2021 को जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन पत्रावली शहादत हेतु पेश नहीं की गई। दिनांक 18.6.2021 को ही निर्णय कर दिया गया। अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, उसकी काश्त की खातेदारी भूमि है जिसके चारों तरफ तारबंदी करके अपनी खेत में खड़ी फसल को आवारा पशुओं से बचाता है,इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.6.2021 काबिले खारिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.6.2021 मु0नं0 43/2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत में अपीलांट ने दिनांक 18.06.2021 को जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन पत्रावली शहादत हेतु पेश नहीं की गई। दिनांक 18.06.2021 को ही निर्णय कर दिया गया। अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, उसकी काश्त की खातेदारी भूमि है जिसके चारों तरफ तारबंदी करके अपनी खेत में खड़ी फसल को आवारा पशुओं से बचाता है, इसलिए योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.06.2021 काबिले खारिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2021 मु0नं0 43/2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 18.06.2021 पारित किया गया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी बड़बर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 1291/468 रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.10 हैक्टर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करना बताया है। विवादग्रस्त भूमि की किस्त गै0मु0 जोहड है जो नियमन योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादग्रस्त भूमि पर उनका अतिक्रमण वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

बुहाना द्वारा पारित उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2021 उनवानी सरकार बनाम माडूराम मु0नं0 43/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested